राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी- 434/2000/3242

दिनांक 30.06.2000

<u>भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ</u>

<u>आदेश</u>

मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ने मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त 120 सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 29.2.2000 को आवेदन किया था ।

उत्तर प्रदेश शासन ने संस्था को 120 अतिरिक्त सीटों के लिए अपने पत्र दिनांक 5.1.2000 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया था। संस्था के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर सत्र 2000-2001 से विचार करने के लिए संस्था का दिनांक 30-31 मार्च, 2000 को समिति कार्यालय द्वारा मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि, उप-समिति द्वारा अनुमोदित एजेन्डा नोट के साथ उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रैल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए । समिति ने संस्था के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार अभी कमियाँ हैं अतः संस्था को निम्नलिखित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए, उक्त कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी कर दिया जाए ।

क्रसं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को अतिरिक्त 70 सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार 7 प्रवक्ता चाहिए। परिषद् मानदंडों के पैरा 2.2 के अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैरा 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला के साथ 7 प्रवक्ताओं की कमी है। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 7 प्राध्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के अनुसार वेतन श्रृंखला देने का प्रस्ताव है।

समिति के निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी 434/2000/891 दिनांक 26.4.2000 प्रेषित किया गया था जिसमें उपरोक्त कमियों को अंकित किया गया था संस्था से उक्त पत्र के संदर्भ में पत्र दिनांक 22.5.2000 एवं 5.6.2000 प्राप्त हुए। संस्था से प्राप्त उक्त पत्रों एवं संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति आदि को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया । समिति के संस्था के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था में परिषद् मानदंडों के अनुसार निम्नांकित कमियाँ हैं । अतः निम्नांकित कमियों के कारण संस्था के मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए ।

क्रसं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को अतिरिक्त 60 सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार 6 प्रवक्ता चाहिए। परिषद् मानदंडों के पैरा 2.2 के अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैरा 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला के साथ 6 प्रवक्ताओं की कमी है। संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 6 प्राध्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के

कार्यालय : ए-46, शांति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur - 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
Phone फोन : [illegible] Fax फैक्स : [illegible]

	अनुसार वेतन श्रृंखला देने का प्रस्ताव है।

उक्त क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय से मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें। यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष शैक्षणिक अपील कर सकती है। अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं। इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से

(डॉ० एस.एन. मेट्टी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
3. कुल सचिव, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5. प्राचार्य, मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
6. कम्प्यूटर फाइल (उक्षेस)

क्षेत्रीय निदेशक